

भारत सरकार

क्रान्तिकारी योग शिक्षायात् विद्या रिहाई अंतर्राष्ट्रीय क्रान्तिकारी योग शिक्षायात् विद्या रिहाई अंतर्राष्ट्रीय

नई दिल्ली। निवारक । १५ फ़िल्म । १९६४

कार्यालय जापन

कानूनीय ज्ञापन
विषय : केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों के संबंध में छुट्टी की सात्रा में वृत्तिलायी अवस्था की देख-क्षात्रा छुट्टी प्राप्त करने के संबंध में इसके केन्द्रीय उत्तर आयोग की सिफारिश ।

प्रसन्नि छुट्टी और शिशु की देख-भाल छुट्टी के सम्बन्ध में छठे वेतन आयोग की सिफारिशों पर सरकार द्वारा लिए गए निर्णयों के परिणामस्वरूप, गष्टपति द्वारा यह निर्णय लिया गया है कि केन्द्रीय सिविल सेवा (छुट्टी) नियमावली, 1972 के मौजूदा पावधानों को वेदान्तीय सरकार के सिविलियन कर्मचारियों के सम्बन्ध में निम्नवत् यथा संशोधित उमड़ा

(क) केन्द्रीय सिविल मैदां (छुट्टी) नियमितावली, 1972 के नियम 43(1) में अनुच्छेद 135 दिनों की प्रमूख छुट्टियों की व्यवस्था की गई है को बदलकर 180 दिन 135 दिनों की प्रमूख छुट्टियों की व्यवस्था की गई है।

(१३) नियम 43(४)(छ) में उल्लिख्य कराई गई प्रसूति कुट्टी के उपयोग के लिए आ राकड़ी योग्य देय और अनुभव्य (अधिक से मध्येत ६० दिनों की कुट्टी साथ अडेव कुट्टी सहित) प्रकार की कुट्टी तें अवश्यक होना दिया जाए ।

(52)

2. यह आदेश 1 सितंबर, 2008 से लागू होगे।
3. उपर्युक्त प्रेरा 2 को ध्यान में रखते हुए कोइ भी ग्रहिता कर्मचारी जिनमें 150 दिनों की प्रशृति कुट्टी की अवधि उपर्युक्त तारीख को समाप्त नहीं हुई हो, वह भी 150 दिनों की प्रशृति कुट्टी को लेने की हकदार होगी।
4. वैन्द्रीय सिविल सेवा (कुट्टी) नियमालती 1972 के औपचारिक संशोधनों का अलग से जारी किया जा रहा है।
5. इहाँ तक भारतीय लेखापरीक्षा और लेखा विभाग में कार्यरत व्यक्तियों का संघर्ष है इन आदेशों को भारत के विधेयक और महालेखा परीक्षक के प्रशमण से जारी किया जाएगा।



(सिन्हमी अर. नामस्वरूप)

दिग्देश्वर (पी.एड्डी)

सेवा नी.

भारत सरकार के सभी मंत्रालय
(मानक डाक सूची के अनुसार)

